भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 108*
(03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का संवितरण

*108 श्री के. सी. वेणुगोपालः
श्री के. सुधाकरनः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए बजटीय आवंटन सरकार द्वारा अनुमानित मांग से लगातार कम हो रहा है, यदि हां, तो इस बजटीय कमी के क्या कारण हैं;

(ख) देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान मनरेगा के लिए बजट आवंटन , संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय का ब्यौरा है;

(ग) मनरेगा के तहत लंबित मजदूरी भुगतान की कुल राशि झारखंड सहित राज्य-वार कितनी है;

(घ) पिछले वर्ष के दौरान मनरेगा के तहत मजदूरी संवितरण में देरी के क्या कारण रहे और इसमें औसतन कितनी देरी हुई; और

(ङ) मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और मनरेगा में वित्तपोषण की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 03.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 108 के भाग (क) से (ङ) में उल्लिखित विवरण

(क) एवं (ख): वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान (बीई) चरण में 86,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है , जो कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत बजट अनुमान (बीई) चरण में योजना की शुरुआत के बाद से अब तक का सबसे अधिक बजट आवंटन है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (27.11.2024 की स्थिति के अनुसार) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के तहत बजट अनुमान चरण , संशोधित अनुमान चरण में निधि आवंटन और जारी निधि का विवरण नीचे दिया गया है:

			(रु.करोड़ में)
वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित बजट अनुमान	जारी निधि
2019-20	60,000.00	71,001.81	71,687.71
2020-21	61,500.00	1,11,500.00	1,11,170.86
2021-22	73,000.00	98,000.00	98,467.84
2022-23	73,000.00	89,400.00	90,810.99
2023-24	60,000.00	86,000.00	89,268.30
2024-25 (27.11.2024 की स्थिति के अनुसार)	86,000.00	--	74,976.84

(ग): महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 27.11.2024 की स्थिति के अनुसार मजदूरी घटक के लिए लंबित देनदारियों का राज्य /संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुबंध में दिया गया है। दिनांक 27.11.2024 की स्थिति के अनुसार झारखंड राज्य के संबंध में मजदूरी घटक हेतु कोई लंबित देयताएं नहीं हैं।

(घ): महात्मा गांधी नरेगा एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र भारत सरकार को निधि प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। मंत्रालय “सहमत श्रम बजट”, कार्यों की मांग, प्रारंभिक शेष, निधियों के उपयोग की रफ्तार , लंबित देनदारियों, समग्र निष्पादन को ध्यान में रखते हुए और राज्य द्वारा संगत दस्तावेजों की प्रस्तुति के अधीन दो खेपों में निधियां आवधिक रूप से जारी करता है , जिनमें से प्रत्येक खेप में एक या इससे अधिक किस्तें शामिल होती हैं।

पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (27.11.2024 की स्थिति के अनुसार) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मस्टर रोल बंद होने से 15 दिनों के भीतर सृजित किए गए निधि अंतरण आदेशों (एफटीओ) का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	2023-24	2024-25
15 दिनों के भीतर सृजित किए गए निधि अंतरण आदेशों (एफटीओ) का %	97.98	98.91

(ङ): मंत्रालय ने मजदूरी के भुगतान में देरी को कम करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। लाभार्थियों के खाते में सीधे भुगतान के लिए समय पर भुगतान प्रक्रिया पर एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई और राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इसके कार्यान्वयन की नियमित आधार पर निगरानी की जा रही है। इसके अतिरिक्त , सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)/राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनई-एफएमएस) जैसे प्लेटफार्मों के उपयोग से भुगतान की वास्तविक समय पर निगरानी संभव हो गई है। मंत्रालय ने महात्मा गांधी नरेगा के तहत श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए है:

(i) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन। इसे सभी राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है।

(ii) मजदूरी का समय पर भुगतान, लंबित मुआवजा दावों का सत्यापन आदि सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ गहन विचार विमर्श करना।

(iii) मजदूरी के समय पर भुगतान और विलंब मुआवजे के भुगतान की निगरानी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गई है।

(iv) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से नियमित रूप से अनुरोध किया जाता है कि वे पीएफएमएस द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अस्वीकृत लेन-देन को समय पर पुनः सृजित करें तथा अमान्य खातों में सुधार सुनिश्चित करें।

(v) महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत लाभार्थियों को जल्दी से , सुरक्षित और समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 1 जनवरी, 2024 से आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) को अनिवार्य कर दिया गया है।

(vi) राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) के माध्यम से वास्तविक समय पर उपस्थिति दर्ज करना।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 03.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 108 के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2024-25 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के तहत मजदूरी के लिए राज्य-वार लंबित निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) (27.11.2024 की स्थिति के अनुसार) (रुपये लाख में)		
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**लंबित निधि अंतरण आदेश**
1	आंध्र प्रदेश	13767.05
2	असम	6572.52
3	गोवा	0.05
4	गुजरात	3942.01
5	जम्मू और कश्मीर	3610.19
6	केरल	1504.74
7	महाराष्ट्र	10317.26
8	मणिपुर	3715.25
9	मिजोरम	4422.68
10	नागालैंड	539.42
11	ओडिसा	13904.09
12	उत्तराखंड	3750.02
13	पुदुचेरी	105.01
	कुल	**66,150.28**

*****